कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्र संख्या– /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/आ0बा0विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक– 29-07-2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0– 1/1092245/ 2025/ 3313/ 58–1–2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद संत कबीर नगर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाडी कार्यकत्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का ग्रामपंचायतवार/वार्डवार/परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 स0	परियोजना का नाम	ग्रामीण /शहरी	रिक्त आंगनबाडी कार्यकत्री के पदों का विवरण	रिक्त पद का आरक्षण विवरण			
				अनु0 जनजाति	अनु0 जाति	पिछड़ी जाति	अनारक्षित
1	सेमरियावां	ग्रामीण	29	0	04	07	18
2	सांथा	ग्रामीण/शहरी	37	0	12	12	13
3	पौली	ग्रामीण	13	0	02	05	06
4	नाथनगर	ग्रामीण	19	0	05	05	09
5	मेंहदावल	ग्रामीण/शहरी	25	0	06	08	11
6	खलीलाबाद	ग्रामीण/शहरी	21	0	03	06	12
7	हैंसर बाजार	ग्रामीण/शहरी	22	0	02	04	16
8	बेलहरकलां	ग्रामीण	10	0	02	02	06
9	बघौली	ग्रामीण/शहरी	15	0	03	05	07
10	शहर	शहरी	01	0	0	01	0

(नोट:– उपरोक्त तालिका में वर्णित रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के आधार पर घट बढ सकती है।)

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकासखण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर अपलोड है।

विज्ञाप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनबाडी कार्यकत्री के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
4. आयु के सम्बन्ध में आंगनबाडी कार्यकत्री पद के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि 01.07.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ ग्रामसभा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा ग्रामसभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत में से श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
6. आंगनबाडी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। Sarkari Result : SarkariResult.Com Official
7. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफ लाइन/डाक द्वारा आवेदन या अभिलेख प्रपत्र किसी भी दशा में मान्य/ स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है, आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के नाम एवं शैक्षिक अभिलेखों में भिन्नता पायी जाती है या कोई तथ्य /आंकड़े/ शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाए जायेंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
8. उपरोक्त विज्ञापित केन्द्रों के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना खलीलाबाद, संत कबी नगर के रिक्त आंगनबाडी केन्द्रों–मडयाजोत मिनी(09178040119), कडेसर मिनी (09178040117), बेल्डुहा (09178040204), भिटौरा (09178040230),फरेन्दिया (09178040212), बसलोहिया (09178040202), बंजारीपुर (09178040209), बस्तीदेवा (09178040203),तेनुआराजा(09178040229), छोटी सरौली (09178040310), अनई (09178040301), बनैता (09178040401), मंझरिया मिनी(मंझरिया–09178040418), मंझरिया मिनी (फेरूसा–09178040519), सेमरी

(09178040531) महाथान मिनी (09178040518), नौरंगिया मिनी (09178040618), गढ़वा मिनी (09178040605) एवं खरवनियाकलां मिनी (09178040712) पर किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं0–13225/2012 में पारित निर्णय के अधीन होगा।

9. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.08.2026 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन हेतु वरीयता–

- ❖ उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों मे) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- ❖ उसी ग्रामसभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यकता महिला।
- ❖ विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही:–

- ❖ उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।
- ❖ उसी ग्राम सभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यकता महिला।
- ❖ विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला के गरीबी रेख के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/ वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- ❖ उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- ❖ विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- ❖ तलाकशुदा/ परित्यकता के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- ❖ आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ गरीबी रेखा की आय सीमा का पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या– 22/2015/2123/26– 2–2025 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- ❖ निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेवसाइट **http://upanganwadibharti.in** पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय, संत कबीर नगर से कार्यालय दिवस में निर्धारित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
संत कबीर नगर।

पृ०प०सं०— C-1090 / तद दिनांकित—

प्रतिलिपि—:— **निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
5. उपजिलाधिकारी, खलीलाबाद, मेंहदावल एवं घनघटा, संत कबीर नगर।
6. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि 02 प्रचलित समाचार पत्रों में निशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, संत कबीर नगर को इस निर्देश के साथ कि रिक्त पदों के विज्ञप्ति की एक प्रति परियोजना कार्यालय एवं विकासखण्ड कार्यालय पर चस्पा करें।
9. सम्पादक **दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र के प्रादेशिक संस्करण में न्यूनतम दर पर विज्ञापित कराकर बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
10. सम्पादक **दैनिक समाचार पत्र, ब्रम्ह पुकारम** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर पर स्थानीय परिशिष्ट में विज्ञापित कराकर बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करें।
11. कार्यालय प्रति।

29/07/26

जिला कार्यक्रम अधिकारी
संत कबीर नगर।